पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

(२१)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निगरानी 63-I-15

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–दतिया

1– कालीचरन पिता स्व. श्री अजीत सिंह
2– सीताराम पिता स्व. श्री अजीत सिंह
निवासीगण–कुडराया तहसील व जिला दतिया (म.प्र.)

–– आवेदकगण

दिनांक 12-1-15 को श्री चतुर्वेदी अभि. द्वारा प्रस्तुत।
12-1-15
SO

विरूद्ध

1– दशरथ सिंह पिता श्री सिरनाम सिंह निवासी कुडराया तहसील व जिला दतिया (म.प्र.)
2– मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला दतिया (म.प्र.)

–– अनावेदकगण

Chaturvedi
12/1/15

न्यायालय नायब तहसीलदार वृत दिनारा तहसील करैरा द्वारा प्रकरण क्रमांक 73/87–88/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 03.05.1988 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, नायब तहसीलदार वृत दिनारा के समक्ष अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा ग्राम कुडराया में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 128 रकवा 0.35 एवं सर्वे क्रमांक 288 रकवा 0.31 है. भूमि कब्जे के आधार पर भूमि आवंटन की मांग की गयी थी। ओर तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 73/87–88/अ–19 पंजीबद्व कर भूमि आवंटन का आदेश दिनांक 03.05.1988 को पारित कर दिया गया। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व प्रकरण में विधिवत् प्रक्रिया का पालन किये बिना आवंटन आदेश जारी किया गया है जो वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है।
2. यहकि, आवेदकगण का भूमि सर्वे नं. 288 रकवा 0.31 पर उनके पिता के समय से निरन्तर कास्त करके कब्जा चला आ रहा है एवं वर्तमान समय में है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त भूमि को आवंटन में प्राप्त करने का वैधानिक पात्र व्यक्ति आवेदकगण है। किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् प्रक्रिया का पालन किये बिना एवं आपत्तियॉ आमंत्रित किये बिना भूमि का आवंटन आदेश अनावेदक क्रमांक 1 के हित में जारी किया है। जो नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
3. यहकि, आवेदकगण को तहसील न्यायालय के आदेश की कोई जानकारी नहीं हुयी। क्योंकि तहसीलदार न्यायालय द्वारा विधिवत् प्रक्रिया के पालन किये बिना ही आवंटन

36

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 63—एक/2015 जिला दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15—04—2015	आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर प्रकरण आज सुनवाई में लिया गया । आवेदक अधिवक्ता श्री के0के0द्विवेदी उपस्थित । अनावेदक कमांक 2 शासन की ओर से श्री डी0के0शुक्ला पेनल लॉयर उपस्थित। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि वे प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते हैं इसलिये नॉटप्रेस में समाप्त किया जाये । निवेदन स्वीकार । आवेदक के निवेदन पर प्रकरण आगे नहीं चलाने के कारण नॉटप्रेस में समाप्त किया जाता है । प्रशासकीय सदस्य	